06 October, 2022

एलएमआरए की सीईओ ने नए श्रम बाजार सुधारों के विवरण पर प्रकाश डाला

श्रम बाजार नियामक प्राधिकरण (एलएमआरए) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महामहिम नौफ अब्दुलरहमान जमशीर ने फ्लेक्सी परमिट की जगह नए श्रम बाजार सुधार संबंधित निर्देशों के लिए एच आर एच क्राउन प्रिंस और प्रधान मंत्री की सराहना की।

महामहिम जमशीर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि श्रम बाजार संबंधित नये सुधारों में श्रम पंजीकरण केंद्रों के द्वारा सभी वर्तमान फ्लेक्सी परमिट धारकों और उन सभी लोगों का जिनके पास वैध वर्क परमिट नहीं है का पंजीकरण सम्मिलित होगा ।

महामहिम जमशीर ने कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त नियोक्ताओं और श्रमिकों की पहचान करने के लिए निरीक्षण में वृद्धि होगी, और वर्क परमिट को अधिक श्रम अनुकूल बाजार का समर्थन करने के लिए पेशेवर और व्यावसायिक मानकों से जोड़ा जाएगा।

महामहिम जमशीर ने कहा नए सुधार नियोक्ताओं, श्रमिकों और राज्य के व्यापारिक समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पेश किए गए हैं।

पंजीकरण आवश्यकताओं के संबंध में महामहिम जमशीर ने संकेत दिया कि श्रमिक केवल तभी पंजीकरण कर सकते हैं जब वे बहरीन में रहते हों, अपने कार्यस्थल से भागे नहीं हों और उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो। विजिट वीजा पर देश में प्रवेश करने वालों से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

महामहिम जमशीर ने इस बात पर जोर दिया कि पंजीकृत श्रमिकों को व्यावसायिक पंजीकरण प्राप्त करने, या विशेष व्यवसायों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय उन परस्थितियों के जब उन्होंने उस व्यावसाय को करने का लाइसेंस संबंधित प्राधिकरण से ले लिया हो।

महामहिम जमशीर ने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ शुल्क का भुगतान   व प्रस्थान बीमा प्रस्तुत करना होग। फ्लेक्सी परमिट धारकों को नयी व्यवस्था में पंजीकरण के लिए एक समय सीमा दी जायेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नयी व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने की लिए उनके पास पर्याप्त समय है

महामहिम जमशीर ने संकेत दिया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर, नए श्रम पंजीकरण केंद्र और "सिजिलाट" पोर्टल में एक ऑनलाइन पंजीकरण अनुभाग की स्थापना की जाएगी ताकि श्रमिक पंजीकरण और असानी से हो सके।

पंजीकरण केंद्र श्रमिकों की अद्यतन सूची रखेंगे जिसमें उनके निवास स्थान और बैंक खाते के विवरण शामिल हैं, वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकृत लोगों के पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पेशेवर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र हो और जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क स्थापित किया जा सके।

महामहिम जमशीर ने कहा कि स्वीकृत केंद्र श्रम बाजार नियामक प्राधिकरण ((एलएमआरए) की वेबसाइट के माध्यम से श्रमिकों को पंजीकृत कर सकते हैं, जो मानवाधिकारों की रक्षा करने, अनियमित रोजगार के मुद्दे को हल करने और राज्य के श्रम बाजार की मांगों की एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में सरकार के प्रयासों में योगदान देगा।

*****